न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

श्री .... द्वारा आज दि. 3-2-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 16-2-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 3-2-18

II/निगरानी/रीवा/भू.रा/2018/0891

कामेश्वरनाथ मिश्रा तनय स्व0 श्री राजीवलोचन मिश्रा, निवासी ग्राम बडोखर, तह0 सिरमौर, जिला रीवा म0प्र0 ————————**निगरानीकर्ता**

बनाम्

1— रामप्रसाद नामदेव तनय स्व0 श्री रामाश्रय नामदेव उम्र 60 वर्ष

2— रामायण प्रसाद नामदेव तनय स्व0 श्री रामाश्रय नामदेव, उम्र 55 वर्ष।

3— श्रीमती कौशिल्या पत्नी स्व0 श्री रामाश्रय नामदवे, उम्र 85 वर्ष।

01 ता 03 निवासी ग्राम बडोखर, तह0 सिरमौर, जिला रीवा म0प्र0

4— सुआल नामदेव पुत्री स्व0 श्री रामाश्रय नामदेव उम्र 55 साल, पत्नी शिवकुमार निवासी अमवा, तह0 हुजूर, जिला रीवा म0प्र0

5— शकुन्तला नामदेव पुत्री स्व0 श्री रामाश्रय नामदेव, उम्र 52 साल, पति रामस्वरूप, निवासी ग्राम छुररहा, तह0 त्योथर, जिला रीवा (म0प्र0) ————**गैरनिगरानीकर्तागण**

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय सर्किल लालगॉव, के प्र0क0 25अ—6अ/17—18 दिनांक 06.12.2017।

अंतर्गत धारा 8 म0प्र0भू—राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न है :—

यह कि निगरानीकर्ता द्वारा आराजी नं0 78रकवा 1.104हे. ...... 0.454हे. किता 2 जमला रकवा 1.558हे.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(28)

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक II/निग/रीवा/भू.रा./18/0891 (कामेश्वरनाथ/रामप्रसाद)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
8/1/19	आवेदक की ओर से श्री आर. एस. सेंगर अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार -रायपुर कर्चुलियान के प्रकरण क्रमांक 25/अ-6-अ/17-18 में पारित आदेश दिनांक 6-12-17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला -रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 23/4/19 को कलेक्टर जिला -रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	